न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/631

1. बजरंग आयु 50 वर्ष आत्मज श्री बालू जाति गुर्जर निवासी गोरस्या का खेडा ।
2. मनोहर आयु 45 वर्ष आत्मज श्री बालू जाति गुर्जर निवासी गोरस्या का खेडा ।
3. भंवर लाल आयु 40 वर्ष आत्मज श्री बालू जाति गुर्जर निवासी गोरस्या का खेडा ।
4. भूरी बाई आयु 48 वर्ष पुत्री श्री बालू जाति गुर्जर निवासी गोरस्या का खेडा ।
5. तुलसा बाई आयु 42 वर्ष पुत्री श्री बालू जाति गुर्जर निवासी गोरस्या का खेडा ।
6. मोत्या बाई आयु 65 वर्ष पत्नी श्री बालू जाति गुर्जर निवासी गोरस्या का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. फोरूलाल आयु 35 वर्ष आत्मज श्री बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी गोरस्या का खेडा ।
2. हरदेव आयु 30 वर्ष आत्मज श्री बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी गोरस्या का खेडा ।
3. रामप्रसाद आयु 38 वर्ष आत्मज श्री गोबरी लाल जाति गुर्जर निवासी गोरस्या का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश नामधराणी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से
3. श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 17.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर

कथन किया कि ग्राम गोरस्या का खेडा तहसील हिण्डोली में खसरा नम्बर 207 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 636/206 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है । ग्राम गोरस्या का खेडा में ही खसरा नम्बर 172, 200, 201, 202, 204, 205, 216 कुल 08 किता की 10 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है उक्त भूमि प्रार्थी क्रम 03 रामप्रसाद की खातेदारी में दर्ज है । खसरा नम्बर 212, 213, 214, 217, 218 कुल 05 किता की 07 बीघा 15 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण क्रम 1 से 6 की खातेदारी में दर्ज है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के सभी भूमियॉ चाह संख्या 211 रकबा 07 बिस्वा से सिंचित होती है । पक्षकारान की भूमियों पर जाने हेतु एक आम रास्ता बना हुआ है जो पक्षकारान के शामलाती कुए खसरा नम्बर 211 पर जाता है । उक्त रास्ता खसरा नम्बर 217 व 218 में खसरा नम्बर 209 व 210 की सीमा के सहारे खसरा नम्बर 217 व 218 में बना हुआ है । मौके पर विद्यमान रास्ता 12 फिट चौडा है जो खसरा नम्बर 219 सिवायचक में होता हुआ खसरा नम्बर 217, 218 में होता हुआ चाह खसरा नम्बर 211 पर आ रहा है । उक्त रास्ता अप्रार्थीगण के खाते की भूमि में स्थित होने से उनके मन में बदयान्ति आ गयी है जो मौके पर विद्यमान उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकी देते हैं ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गोरस्या का खेडा के खसरा खसरा नम्बर 219 सिवायचक व 217 एवं 218 में होता हुआ खसरा नम्बर 211 चाह तक 12 फिट चौडा रास्ता घोषित किया जावे एवं घोषित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व नक्शे में रास्ते की तरमीम करवाये एवं खसरा नम्बर 217 व 218 में से रास्ते में अवाप्त भूमि का रकबा अप्रार्थीगण के खाते में से कम किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 07.06.2017 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 219 में से 0.02 बीघा कुल सिवायचक रकबा 0.02 बीघा एवं खातेदारी भूमि रकबा 0.04 बीघा को मिलाकर 0.06 बीघा का 12 फुट चौडा रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया तथा अप्रार्थीगण को डीएलसी दर का दोगुना राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2017 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत विधिक प्रकिया का अनुपालन किये बिना, साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लिये बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित किया है जबकि लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का जवाब लिये बिना केवल मात्र पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर उक्त आदेश पारित किया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत मौका निरीक्षण स्वयं उपखण्ड अधिकारी अथवा भू–अभिलेख निरीक्षण द्वारा किया जाना कानूनन आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने दिनिांक 17.04.2017 को श्री अनिल गुर्जर एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया एवं आगामी पेशी वास्ते जवाब अपीलान्ट हेतु दिनांक 22.05.2017 नियत की गई । तत्पश्चात् बिना अपीलान्ट को सूचित किये दिनांक 04.05. 2017 को आगामी पेशी दिनांक 07.06.2017 भवानीपुरा में होने वाली लोक अदालत के लिए नियत कर दी गई । लोक अदालत में अपीलान्ट को तलब भी नहीं किया गया एवं उसी दिन न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सुने एवं बिना कोई साक्ष्य रिकॉर्ड किये उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । उक्त निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट को जवाब का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.12.2018 को नकल प्राप्त करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कारण यह अंकित किया है कि अपीलान्ट को सुने बिना व अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दिनांक 07.06.2017 को निर्णय कर दिया है और निर्णय की जानकारी दिनाक 15.12.2018 को पटवारी हल्का भवानीपुरा के अपीलान्ट के खेतों पर आकर अपीलान्ट के खेतों पर रास्ता निकालने के निर्णय जाने की सूचना देने पर दिनांक 07.12.2018 को निर्णय की जानकारी होना अंकित है जो असत्य एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है । वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलान्ट ने अपनी ओर से उक्त प्रकरण में पैरवी करने हेतु दिनांक 17.04.2017 को वकील श्री अनिल गुर्जर को नियुक्त किया था और वकील साहब द्वारा अपीलान्ट की ओर से न्यायालय में पैरवी की जाती रही है । प्रकरण की सुनवाई हेतु लोक अदालतों का अयोजन होने पर न्यायालय द्वारा कैम्प की सूचना सभी अभिभाषकों को व पक्षकारों को नोटिस बोर्ड पर प्रोग्राम की सूची चस्पा कर जानकारी दी गई थी और एक प्रति अभिभाषकों की जानकारी वास्ते अभिभाषक परिषद भेजी गई थी । इस प्रकार उक्त कैम्प की सूचना अपीलान्ट के अभिभाषक को दी गई थी । अपीलान्ट द्वारा नियुक्त वकील साहब द्वारा भी डेढ वर्ष तक प्रकरण में पैरवी करने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं होने या प्रकरण की जानकारी नहीं करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है । अपीलान्ट ने उक्त अपील जानबूझकर विलम्ब से पेश की है । अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में किये गये विलम्ब को क्षम्य नहीं किया जा सकता । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

251ए पेश किया । अपीलान्टगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वकालतनामा पेश किया गया और जवाब हेतु तारीख नियत की गई । इसके उपरान्त बिना अपीलान्ट को सूचना दिये इसे लोक अदालत में रख दिया गया । लोक अदालत में प्रार्थीगण को तलब नहीं किया गया और उसी दिन बिना अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये नया रास्ता कायम किया गया है । प्रार्थीगण की भूमि पर आने–जाने के लिए अन्य रास्ता कायम है । धारा 251ए के तहत रास्ता तभी कायम किया जा सकता है जब वैकल्पिक रास्ता न हो । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 17.04.2017 को आगामी तारीख 22.05.2017 दी गई और इससे पूर्व ही दिनपांक 04.0.5.2017 को इसको लोक अदालत में रखा गया और दिनांक 07.06.2017 की तारीख नियत की गई । लोक अदालत की कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गयी । अपीलान्टगण में से अपीलान्ट क्रम 01 अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था उनकी हाजरी के हस्ताक्षर कराये गये थे । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । लोक अदालत में विधिक राजीनामे के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैध है और अवैध निर्णय को अपास्त करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है । तकनीकी कमियों के आधार पर अपीलान्ट को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता । अपीलान्टगण को न्याय प्रदान करने के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में एआई आर 1998 (एससी) पेज 3222, डीएनजे 2018 (2) पेज 456, आरआरडी 1998 पेज 319 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । प्रार्थना पत्र में विलम्ब के समुचित कारण नहीं बताए गये हैं । दिनांक 17.04.2017 को अपीलान्टगण की तरफ से अभिभाषकगण ने उपस्थिति दी थी उसके बाद प्रकरण में दो पेशियॉ परिवर्तित हुई है परन्तु उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया । लोक अदालत की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाती है व बार में ही प्रेषित की जाती है । दिनांक 07.06. 2017 को अपीलान्टगण में से अपीलान्ट क्रम 1 बजरंग लाल अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है उनके आदेशिका पर हस्ताक्षर हैं, उनके समक्ष निर्णय पारित किया गया है, उन्हें निर्णय की जानकारी थी फिर भी अपील विलम्ब से पेश की गई है जो क्षम्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय विधि सम्मत रूप से रिपोर्ट मंगवाकर रास्ता कायम किया है । रेस्पोडेन्टगण ने रास्ते की राशि भी जमा करा दी है । अतः धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2017 बहाल रखा जावे । आरआरडी 1996 पेज 539, डीएनजे 2019 (1) पेज 113 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में दिनांक 07.06.2017 को प्रार्थीगण में से प्रार्थी क्रम 3 रामप्रसाद और अप्रार्थीगण में से अप्रार्थी क्रम 1 बजरंग लाल की उपस्थिति दर्ज की गई है । शेष

पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । पत्रावली पर जो रिपोर्ट संलग्न है वो पटवारी एवं आईएलआर की है । रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 211 गै0मु0 चाह पर जाने का कोई रास्ता दर्ज नहीं है परन्तु इसमें यह अंकित नहीं किया गया है कि प्रार्थीगण के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है जबकि धारा 251ए के तहत रास्ता तभी कायम किया जा सकता है जब यह स्पष्ट रिपोर्ट हो कि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर किया गया है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है।

12. दिनांक 17.04.2017 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.05.2017 नियत की गई थी और इससे प्रकरण पूर्व ही दिनांक 04.05.2017 को पत्रावली में दिनांक 07.06.2017 लोक अदालत की तारीख नियत की गई । लोक अदालत के नोटिस जारी किये गये हैं इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वो अवैध है और ऐसा निर्णय जो अवैध होता है उसमें मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा उद्धरत नजीर एआई आर 1998 (एससी) पेज 3222, डीएनजे 2018 (2) पेज 456, आरआरडी 1998 पेज 319 यहॉ चस्पा होती हैं । अतः हम इस प्रकरण में धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विलम्ब का शमन किया जाना उचित समझते हैं । तद्नुसार धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । प्रकरण में अपीलान्ट से जवाब प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पातिर करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा